

10- टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस 2190- 2010 के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- आवश्यक नहीं है।


13- प्रेशराइजेशन प्रणाली- आवश्यक नहीं।

14- एग्जिट साइनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज कराया जाना आवश्यक होगा।

15- पीओए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में पीओए0 सिस्टम की व्यवस्था स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर, ख0सं0-460 ग्राम बाधामऊ लखनऊ में मेसर्स मैथेटिक्स इंजीनर प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवास भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।


(ए0वी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1- अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मेसर्स मैथेटिक्स इंजीनर प्रा0 लि0, ख0सं0-460 ग्राम बाधामऊ लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।